[illegible]
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]
अतारांकित प्रश्न [illegible]: 1188
28 [illegible], 2019 [illegible] प्रश्न [illegible]

पीएचसी/अस्पतालों को स्थापना हेतु मापदंड

1188. श्री [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) देश म नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ अस्पतालों को स्थापना हेतु क्या मापदंड मौजूद ह;

(ख) देश म जनसंख्या और अस्पताल का अनुपात क्या है;

(ग) क्या असम म जनसंख्या के हिसाब से पयाप्त अस्पताल ह, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों तो इस संबंध म सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह; और

(घ) असम के एचपीसी क्षेत्र म नए पीएचसी/ अस्पताल/सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या प्रयास किए गए ह, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य [illegible] (श्री [illegible])

(क): मैदानी क्षेत्रों म प्रत्येक 30 हजार ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक पीएचएसी और पहाड़ी, जनजातीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों म प्रत्येक 20 हजार जनसंख्या के लिए एक पीएचसी को स्थापना किया जाना अपेक्षित है।

(ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2018 के अनुसार एक सरकारी अस्पताल औसतन 55591 लोगों को सेवा करता है।

(ग) और (घ): ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिको (आरएचएस), 2018 के अनुसार, असम राज्य म उनको जनसंख्या मापदंडों के अनुसार 5850 उप-स्वास्थ्य कद्रों (एससी), 954 प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों (पीएचसी), 238 सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों (सीएचसी) तथा 14 उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच) को आवश्यकता है जबकि

4644 एससी, 946 पीएचसी, 172 सीएचसी उपलब्ध ह। 14 उप-जिला अस्पताल काय कर रहे ह जो कि अपेक्षा के अनुरूप ह। अत: असम राज्य म 21% एससी, 1% पीएचसी और 28% सीएचसी को कमी है।

सावजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल चूंकि राज्य का विषय है, जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचया सेवाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार को है।

एनएचएम के अंतगत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य परिचया सुपुदगी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इन्ह सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है जिसम उनको कायक्रम कायान्वयन योजनाओं म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा प्रस्तुत को गई अपेक्षाओं के आधार पर एससी, पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और डीएच आदि को स्थापना/उन्नयन सम्मिलित है।

असम राज्य म एनएचएम के अंतगत (दिसंबर, 2018 के अनुसार) अनुमोदित नए निमाण कार्यों का विवरण अनुलग्नक-I के अनुसार दिया गया है।

असम राज्य म एनएचएम के अंतगत (दिसंबर, 2018 के अनुसार) अनुमोदित नवीकरण/उन्नयन कार्यों का विवरण अनुलग्नक-II के अनुसार दिया गया है।

इसके अलावा वित्त वष 2019-20 के लिए प्रक्रियाओं के रिकॉड (आरओपी) म स्वास्थ्य सुविधा कद्रों के नए निमाण/उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कार्यों का अनुमोदन किया गया है।

1. बक्सा जिला, असम म एक नए पीएचसी-दौधरा का निमाण।
2. नया उन्नयन काय:

i. 137.50 लाख रुपए को परियोजना लागत पर उदलगिरी जिले म आवासीय क्वाटर सहित पीएचसी के उप-कद्र दलनीबस्ती का उन्नयन काय।

ii. 117.99 लाख रुपए को परियोजना लागत पर कोकराझार जिले म कोकराझार पश्चिम (एसटी) के अंतगत दोतमा सीएचसी का सुदृढ़ीकरण।

iii. 542 नए एससी-एचडब्ल्यूसी और 300 नए एससी-एचडब्ल्यूसी का सुदृढ़ीकरण।

□□□ग्न□-I

एनआरएचएम के अंतर्गत असम के लिए नए निर्माण कार्यों को स्थिति (दिसंबर, 2018 □□□□□□)

	स्वीकृति							पूरा किया गया						
	डीएच	एसडीएच	सीएचसी	पीएचसी	एससी को छोड़कर	एससी	कुल	□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	एससी को छोड़कर	एसी	कुल
असम	8	0	128	0	215	2876	3227	7	0	94	0	185	2014	2300

□□□ग्न□-II

एनआरएचएम के अंतगत असम के लिए नवीकरण/उन्नयन कार्यों को स्थिति (दिसंबर, 2018 □□□□□□)

	स्वीकृति							पूरा किया गया						
	डीएच	एसडीएच	सीएचसी	पीएचसी	एससी को छोड़कर	एससी	कुल	डीएच	एसडीएच	सीएचसी	पीएचसी	एससी को छोड़कर	एसी	कुल
असम	37	12	115	25	465	2182	2836	27	1	110	23	462	1596	2219